

| Article Date | Headline / Summary                                                                             | Publication             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 25 Jul 2026  | Understanding Zero Depreciation and Consequential Loss will make motor insurance claims easier | Dainik Navjyoti (Hindi) |

## जीरो डेप्रिसिएशन और कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की समझ से आसान होगा मोटर इंश्योरेंस क्लेम

नई दिल्ली। मोटर इंश्योरेंस केवल कानूनी अनिवार्यता नहीं, बल्कि दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, चोरी और अन्य जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा का प्रभावी माध्यम भी है। बजाज जनरल इंश्योरेंस के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर-रिटेल बिजनेस राकेश कौल के अनुसार, पॉलिसी खरीदते समय प्रीमियम के साथ जीरो डेप्रिसिएशन कवर और

कॉन्सिक्वेंशियल लॉस जैसी महत्वपूर्ण शर्तों को समझना भी जरूरी है। जीरो डेप्रिसिएशन कवर (निल डेप्रिसिएशन या बंपर-टू-बंपर कवर) एक वैकल्पिक ऐड-ऑन है, जो पॉलिसी की शर्तों के तहत क्षतिग्रस्त स्वीकृत पुर्जों के प्रतिस्थापन पर डेप्रिसिएशन की कटौती को कम या समाप्त कर देता है। इससे



क्लेम राशि बढ़ती है और वाहन मालिक का जेब से होने वाला खर्च घटता है। उदाहरण के तौर पर, दुर्घटना में क्षतिग्रस्त बंपर बदलने की स्थिति में यह कवर मरम्मत लागत का बड़ा हिस्सा वहन कर सकता है। इसके विपरीत, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस वह अतिरिक्त नुकसान है, जो दुर्घटना के बाद गलत कदम

उठाने से होता है और सामान्य पॉलिसी में प्रायः कवर नहीं होता। जैसे जलभराव में फंसे वाहन को बार-बार स्टार्ट करने से इंजन खराब हो जाए तो यह नुकसान क्लेम से बाहर हो सकता है। कौल का कहना है कि विशेषकर मानसून में इन प्रावधानों की जानकारी वाहन मालिकों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा, आसान क्लेम प्रक्रिया और अनावश्यक खर्च से बचाव में मदद करती है।